

**राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग,
रायपुर छत्तीसगढ़**

क्र.	विषय	पेज नं.
1	सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन – आचार संहिता	1-2
2	अधिसूचना-सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन संबंधित आचार संहिता (विस्तृत विवरण-01)	3-5
3	सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन – आचार संहिता	6-7
4	अधिसूचना-सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन संबंधित आचार संहिता	8-10

कार्यालय राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर, छत्तीसगढ़

आर-05/सह./निर्वाचन/2015/ 25

रायपुर दिनांक : 16/02/2015

प्रति,

1. पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़
2. प्रबंध संचालक,
राज्य स्तरीय सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ (समस्त)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित (समस्त)
4. प्रबंधक
जिला वनोपज सहकारी यूनियन छत्तीसगढ़ (समस्त)
5. प्रबंधक
जिला थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, छत्तीसगढ़ (समस्त)
6. प्रबंधक
जिला सहकारी संघ मर्यादित छत्तीसगढ़ (समस्त)
7. प्रबंधक
नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित छत्तीसगढ़ (समस्त)
8. प्रबंधक
प्राथमिक विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ (समस्त)

विषय :- सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन - आचार संहिता।

---0000---

इस तथ्य से आप भली भांति परिचित हैं कि प्रदेश की सहकारी सोसाइटियों का ढांचा प्रजातांत्रिक है तथा यह सोसाइटियां सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों के अंतर्गत अपने सदस्यों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा काम-काज संपादित करती हैं। सोसाइटियों का प्रजातांत्रिक स्वरूप को बनाये रखने हेतु इनके बोर्ड एवं पदाधिकारियों का निर्वाचन यथासमय सम्पन्न कराये जाते हैं। भारत के संविधान में हुए 97वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 में संशोधन कर सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन कराने का दायत्व राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है। राज्य सरकार की प्रारंभ से ही यह मंशा रही है कि सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं विधि रूप से सम्पन्न हो। लोकसभा एवं विधानसभा के सामान्य निर्वाचन के समय चुनाव आयुक्त द्वारा आचार-संहिता का पालन सभी राजनैतिक दल शासकीय सेवक एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार उसका पालन निष्ठापूर्वक करते हैं। इन सब बातों को ध्यान में

क्रमशः :2


//2//

रखते हुए प्रदेश की सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन की शुद्धता में और अधिक वृद्धि करने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन के लिए एक आचार संहिता आयोग द्वारा अधिसूचित की गई है। इस आचार संहिता का पालन करना, सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्याशियों (उम्मीदवारों) और अन्य व्यक्तियों, जो निर्वाचन की प्रक्रिया में संलग्न हैं, को आवश्यक है।

आचार संहिता मतदाता सूची के प्रकाशन से लेकर सोसाइटियों के पदाधिकारियों के निर्वाचन सम्पन्न होने तक प्रभावशील रहेगी। इस आचार संहिता का उल्लंघन करने की दशा में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 64 के अंतर्गत चुनाववाद का एक प्रमुख आधार भी हो सकेगा एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधि अनुकूल कार्यवाही की जावेगी। आचार संहिता का पालन न किया जाना छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 74(ड) के अधीन अपराध होगा, तथा अधिनियम की धारा 75(ड) के तहत राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किये गये शास्तियों से दण्डित की जा सकती है।

सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन के लिए आयोग द्वारा अधिसूचित आचार संहिता की एक प्रति संलग्न करते हुए आपसे आग्रह है कि इस आचार संहिता का पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन की शुद्धता में और वृद्धि हो सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।




(पी.एस. सर्पराज)
सचिव

राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग
रायपुर, छत्तीसगढ़
रायपुर दिनांक : 16/02/2015

क्रमांक/रासनिआ./2015/ 26
प्रतिलिपि :-

1. समस्त आयुक्त, राजस्व छत्तीसगढ़।
2. कलेक्टर, छत्तीसगढ़ (समस्त)।
3. संभागीय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ (समस्त)।
4. उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ (समस्त)।



सचिव
राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग
रायपुर, छत्तीसगढ़

कार्यालय राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर, छत्तीसगढ़

कलेक्ट्रेट चौक, डॉ.बी.आर. अम्बेडकर मूर्ति के सामने रायपुर

(ई-मेल cg.coop.election@gmail.com) फोन : 0771-2225098, 2225107

क्रमांक/रा.स.नि.आ./2018/1000

रायपुर दिनांक 31.03.2018

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन 1961) की धारा 50-ख की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग द्वारा सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन के लिए पूर्व में जारी अधिसूचना फरवरी 2015 को एतद् द्वारा अधिक्रमित करते हुए प्रत्याशियों (उम्मीदवारों), अन्य व्यक्तियों, जो निर्वाचन की प्रक्रिया में संलग्न हैं के द्वारा पालन किये जाने हेतु संशोधित आचार संहिता अधिसूचित करता है।

सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन से संबंधित आचार संहिता

1. संहिता की परिधि :-

यह आचार संहिता उन सभी सहकारी सोसाइटियों के बोर्ड और उसके पदाधिकारियों/संचालकों/अधिकारियों/कर्मचारियों तथा सदस्यों पर लागू होगी, जिनसे संबंधित निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है।

2. अवधि :-

यह आचार संहिता किसी भी सहकारी सोसाइटी के निर्वाचन कार्यक्रम के आख्यापन से प्रारंभ होकर उसके परिणामों की घोषणा होने तक की अवधि के लिए लागू होगी।

स्पष्टीकरण - निर्वाचन के परिणामों की घोषणा से आशय-सोसाइटी के बोर्ड के सदस्य के निर्वाचन के परिणाम की घोषणा से होगा।

3. नीतिगत निर्णय :-

सहकारी सोसाइटी के निर्वाचन सम्पन्न होने तक सहकारी सोसाइटियों के प्रबंधन द्वारा कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिए जावेंगे।

4. चुनाव अभियान एवं प्रचार कार्य :-

सहकारी सोसाइटियों के कर्मचारी/अधिकारी एवं उनसे संबंधित शासकीय अधिकारी/कर्मचारी किसी भी प्रकार के चुनाव अभियान के संचालन प्रचार में भाग नहीं लेंगे तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनकी हैसियत या पद का लाभ किसी व्यक्ति विशेष या उम्मीदवार को न मिले। उनके द्वारा ऐसा भी कोई आचार या कार्य नहीं किया जाएगा जिससे इस आशंका को बल मिले कि वे किसी व्यक्ति विशेष या उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं।

5. यात्रा तथा वाहन का उपयोग -

सोसाइटी के अधीन वाहनों का किसी भी पदाधिकारी/संचालक अथवा सदस्य द्वारा उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। उनके द्वारा प्रकट अथवा अप्रकट रूप से भी वाहन का उपयोग आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आएगा। जिन पदाधिकारियों को वाहन आवंटित है, निर्वाचन के आख्यापन दिनांक को ही सोसाइटी में वापिस जमा कराया जाएगा।

6. कर्मचारियों का उपयोग :-

निर्वाचन के दौरान किसी भी पदाधिकारी, संचालक अथवा सदस्य द्वारा सोसाइटी के किसी अधिकारी तथा कर्मचारी का निर्वाचन में सदस्यों को प्रभावित करने अथवा भ्रमण/सहयात्रा के रूप में उपयोग नहीं किया जावेगा।

7. विज्ञापन :-

निर्वाचन की अवधि में सोसाइटी द्वारा सहकारी तथा जनमाध्यमों का उपयोग पदाधिकारी/संचालक अथवा सदस्य के पक्ष में प्रचार तथा वातावरण बनाने के लिए विज्ञापित आदि जारी नहीं किया जाएगा। इस दौरान सभी प्रकार के विज्ञापनों पर पूरी तरह रोक रहेगी।

8. स्थापना संबंधी :-

किसी भी प्रकार की नियुक्तियां, तदर्थ नियुक्ति, अनुकंपा नियुक्तियां, प्रतिनियुक्तियां, पदोन्नतियां, क्रमोन्नति, स्थायीकरण, स्थानांतरण, पदस्थी एवं विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें चुनाव के दौरान पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।

9 नए निर्माण, नीलामी :-

निर्वाचन की अवधि में नए निर्माण, नई सम्पत्ति का उपार्जन, विक्रय आदि के कार्य नहीं किया जावेगा तथा महत्वपूर्ण नीलामियां लंबित रखी जावेगी।

10 सहकारी सोसाइटियों के अतिथि गृह :-

जिन सहकारी सोसाइटियों के द्वारा अतिथि गृह संचालित किए जा रहे हैं उनका उपयोग सोसाइटी के किसी भी पदाधिकारी, संचालक अथवा सदस्य द्वारा नहीं किया जावेगा।

11 सहायकों का उपयोग :-

सहकारी सोसाइटियों द्वारा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं पदाधिकारियों को लिपिकीय एवं अन्य कार्य हेतु जो स्टेनों/लिपिक कर्मचारी आदि उपलब्ध कराये गये हैं, उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया आख्यापन से तत्काल वापस लिया जावेगा।

12 दूरभाष/फोटोकॉपी सुविधा पर नियंत्रण :-

निर्वाचन की अवधि में सहकारी सोसाइटियों के पदाधिकारियों द्वारा सहकारी सोसाइटियों के दूरभाष/मोबाईल/फैक्स/ई-मेल/फोटो कॉपी के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।

13 व्यवहार में निष्पक्षता :-

सोसाइटी के किसी भी पदाधिकारी, संचालक अथवा सदस्य से व्यवहार के संबंध में पूर्ण निष्पक्षता बरती जावे। रैली, चुनाव, सभा आदि के लिये सोसाइटी के धन का उपयोग नहीं किया जावेगा। किसी भी सोसाइटी द्वारा उक्त अवधि में किसी भी प्रकार के विशेष रूप से मतदाताओं को प्रभावित करने वाले विज्ञापन जारी नहीं किए जावेगे।

14. सदस्यों को भत्ता :-

निर्वाचन हेतु आयोजित आमसभा/विशेष आमसभा में सम्मिलित होने वाले सदस्यों को सोसाइटी द्वारा कन्वेन्स/यात्रा भत्ता एवं उपहार आदि दिये जाने पर प्रतिबंध रहेगा।

15. आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्यवाही :-

इस आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के ध्यान में लाये जाने पर संबंधित सहकारी सोसाइटी के लिए सक्षम अधिकारी विधि अनुकूल कार्यवाही करेंगे।

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 74(द) के अधीन अपराध होगा, तथा अधिनियम की धारा 75(द) के तहत राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किये गये शास्तियों से दण्डित की जा सकती है।



सचिव

राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग
रायपुर, छत्तीसगढ़

कार्यालय राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर, छत्तीसगढ़

कलेक्ट्रेट चौक, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर मूर्ति के सामने, रायपुर

(Email : cg.coop.election@gmail.com) फोन : 0771-2225107, 2225098

आर-05/सह./निर्वाचन/2018/1012

रायपुर दिनांक 02.04.2018

प्रति,

1. पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़,
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. प्रबंध संचालक,
राज्य स्तरीय सहकारी संस्था छत्तीसगढ़ (समस्त)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, (समस्त)
4. प्रबंध संचालक,
जिला वनोपज सहकारी यूनियन छत्तीसगढ़ (समस्त)
5. प्रबंधक,
जिला थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, छत्तीसगढ़ (समस्त)
6. प्रबंधक,
जिला सहकारी संघ मर्यादित, छत्तीसगढ़ (समस्त)
7. प्रबंधक,
नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, छत्तीसगढ़ (समस्त)
8. प्रबंधक,
प्राथमिक विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ (समस्त)

विषय :- सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन - आचार संहिता

संदर्भ :- आयोग का पत्र क्रमांक/आर-05/सह./निर्वाचन/2015/25 दिनांक 16.02.2015

—000—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के साथ सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन के लिये राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा फरवरी 2015 में अधिसूचना जारी की गई थी। जारी अधिसूचना के पैरा 2 अवधि को अधिक्रमित कर निम्नानुसार संशोधन को प्रतिस्थापित किया गया है :-

2. अवधि :-

यह आचार संहिता किसी भी सहकारी सोसाइटी के निर्वाचन कार्यक्रम के आख्यापन से प्रारंभ होकर उसके परिणामों की घोषणा होने तक की अवधि के लिए लागू होगी।

स्पष्टीकरण - निर्वाचन के परिणामों की घोषणा से आशय-सोसाइटी के बोर्ड के सदस्य के निर्वाचन के परिणाम की घोषणा से होगा।

//2//

उपरोक्तानुसार आयोग द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना की प्रति सुलभ सदर्भ हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(एन.के.सिंह)
सचिव

राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग

रायपुर, छत्तीसगढ़

रायपुर दिनांक 02.04.2018

आर-05/सह./निर्वाचन/2018/1012

प्रतिलिपि :-

1. समस्त आयुक्त, राजस्व छत्तीसगढ़।
2. कलेक्टर, छत्तीसगढ़ (समस्त)।
3. संभागीय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ (समस्त)।
4. उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ (समस्त)।


सचिव

राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग

रायपुर, छत्तीसगढ़

कार्यालय राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर, छत्तीसगढ़

भूतल वाणिज्यकर भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर

(ई-मेल cg.coop.election@gmail.com) फोन : 0771-2225098, 2225107

क्रमांक/रा.स.नि.आ./निर्वाचन/2019/356

रायपुर दिनांक : 25.03.2019

:: आधिसूचना ::

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र 17 सन् 1961) की धारा 50-ख की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग द्वारा सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन के लिए पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 31.03.2018 को एतद् द्वारा अधिक्रमित करते हुए प्रत्याशियों (उम्मीदवारों), अन्य व्यक्तियों, जो निर्वाचन की प्रक्रिया में संलग्न हैं, के द्वारा पालन किये जाने हेतु संशोधित "आचार संहिता" अधिसूचित करता है।

सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन से संबंधित आचार संहिता

1. संहिता की परिधि :-

यह आचार संहिता उन सभी सहकारी सोसाइटियों के, बोर्ड और उसके पदाधिकारियों/संचालकों/अधिकारियों/कर्मचारियों तथा सदस्यों पर लागू होगी, जिनसे संबंधित निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है।

~~2. अवधि :-~~

"यह आचार संहिता किसी भी सहकारी सोसाइटी के निर्वाचन में प्ररूप छ-8 में निर्वाचन कार्यक्रम के जारी होने के दिनांक से बोर्ड की प्रथम बैठक अर्थात् अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों के निर्वाचन तक की अवधि के लिए लागू होगी।"

3. नीतिगत निर्णय :-

सहकारी सोसाइटी के निर्वाचन सम्पन्न होने तक सहकारी सोसाइटियों के प्रबंधन द्वारा कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिए जावेंगे।

4. चुनाव अभियान एवं प्रचार कार्य :-

सहकारी सोसाइटियों के कर्मचारी/अधिकारी एवं उनसे संबंधित शासकीय अधिकारी/कर्मचारी किसी भी प्रकार के चुनाव अभियान के संचालन प्रचार में भाग नहीं लेंगे तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनकी हैसियत या पद का लाभ किसी व्यक्ति विशेष या उम्मीदवार को न मिले, उनके द्वारा ऐसा भी कोई आचार या कार्य नहीं किया जाएगा जिससे इस आशंका को बल मिले की वे किसी व्यक्ति विशेष या उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं।



5. यात्रा तथा वाहन का उपयोग :-

सोसाइटी के अधीन वाहनों का किसी भी पदाधिकारी/संचालक अथवा सदस्य द्वारा उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी, उनके द्वारा प्रकट अथवा अप्रकट रूप से भी वाहन का उपयोग आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आएगा। जिन पदाधिकारियों को वाहन आबंटित है, निर्वाचन कार्यक्रम के आख्यापन दिनांक को ही सोसाइटी में वापिस जमा कराया जावेगा।

6. कर्मचारियों का उपयोग :-

निर्वाचन के दौरान कोई भी पदाधिकारी, संचालक अथवा सदस्य, सोसाइटी के किसी अधिकारी तथा कर्मचारी को निर्वाचन में सदस्यों को प्रभावित करने अथवा भ्रमण/सहयात्रा के रूप में उपयोग नहीं करेगा।

7. विज्ञापन :-

निर्वाचन की अवधि में सोसाइटी द्वारा, सहकारी क्षेत्र तथा जनमाध्यमों का उपयोग पदाधिकारी/संचालक अथवा सदस्य के पक्ष में प्रचार तथा वातावरण बनाने के लिए विज्ञापित आदि जारी नहीं किया जाएगा। इस आशय के विज्ञापनों पर पूरी तरह रोक रहेगी।

8. स्थापना संबंधी:-

किसी भी प्रकार की नियुक्तियां, तदर्थ संविदा नियुक्ति, अनुकंपा नियुक्तियां, प्रतिनियुक्तियां, पदोन्नतियां, क्रमोन्नति, स्थायीकरण, स्थानांतरण, पदस्थी एवं विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें चुनाव के दौरान पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।

9. नए निर्माण, नीलामी :-

निर्वाचन की अवधि में किसी प्रकार के नए निर्माण, नई सम्पत्ति का उपार्जन, विक्रय आदि के कार्य प्रतिबंधित होगा तथा पूर्व में जारी निर्माण कार्य पूर्ण किये जाएंगे एवं महत्वपूर्ण नीलामियां लंबित रखी जाएंगी।

10. सहकारी सोसाइटियों के अतिथि गृह :-

जिन सहकारी सोसाइटियों के द्वारा अतिथि गृह संचालित किए जा रहे हैं उनका उपयोग सोसाइटी के किसी भी पदाधिकारी, संचालक अथवा सदस्य द्वारा नहीं किया जावेगा।

11. सहायकों का उपयोग :-

सहकारी सोसाइटियों द्वारा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं पदाधिकारियों को लिपिकीय सुविधा एवं अन्य कार्य हेतु जो स्टेनों/लिपिक कर्मचारी आदि उपलब्ध कराये गये हैं, उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया आख्यापन से तत्काल वापस लिया जावेगा।

12. दूरभाष/फोटोकॉपी सुविधा पर नियंत्रण :-

निर्वाचन की अवधि में सहकारी सोसाइटियों के पदाधिकारियों द्वारा सहकारी सोसाइटियों के दूरभाष/मोबाईल/फैक्स/ई-मेल/फोटो कॉपी के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।



13. व्यवहार में निष्पक्षता :-

सोसाइटी के किसी भी पदाधिकारी, संचालक अथवा सदस्य से व्यवहार के संबंध में पूर्ण निष्पक्षता बरती जावे। रैली, चुनाव, सभा आदि के लिये सोसाइटी के धन का उपयोग नहीं किया जावेगा। किसी भी सोसाइटी द्वारा उक्त अवधि में किसी भी प्रकार के विशेष रूप से मतदाताओं को प्रभावित करने वाले विज्ञापन जारी नहीं किए जावेंगे।

14. सदस्यों को भत्ता :-

निर्वाचन हेतु आयोजित आमसभा/विशेष आमसभा में सम्मिलित होने वाले सदस्यों को सोसाइटी द्वारा कन्वेन्स/यात्रा भत्ता एवं उपहार आदि दिये जाने पर प्रतिबंध रहेगा।

15. आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्यवाही :-

इस आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के ध्यान में लाये जाने पर संबंधित सहकारी सोसाइटी के लिए सक्षम अधिकारी विधि अनुकूल कार्यवाही करेंगे तथा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 के अधीन निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में नियम विपरीत कार्य करने संबंधी दोषी माना जाकर जिम्मेदारों के विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।


सचिव 2513115
राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग
रायपुर, छत्तीसगढ़